

पदाधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सी.पी.ओ. कार्यालय, जयपुर

जयपुर जिले के अंतर्गत (शेख आदर / केम्प कोर्ट) कैम्प जयपुर

आदेश:-

प्रार्थी श्री माया कुमारी शर्मा एवं पटवारी जयपुर व भू.अ.नि. 185/287
 को तहसील जयपुर के अंतर्गत जयपुर तहसीलदार की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान
 राजस्व अधिनियम 1958 में धारा 198 के अंतर्गत ग्राम तहसील जिला
 की समाप्ती सम्वत् 2077 में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज
 प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

वर्ष	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	जयपुर	185	मामा पुत्र दोगसिंह	माया कुमारी पुत्री दोगसिंह

(Signature)
 पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर,

क्रमांक :- 125/287

दिनांक :- 11/10/25

विवरण:-

1. तहसीलदार की ओर से लिखा है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाना चाहिए।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रजिस्ट्रार कार्यालय।

(Signature)
 पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,